REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072022-237227 CG-DL-E-09072022-237227

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 9, 2022/आषाढ़ 18, 1944 No. 489] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 9, 2022/ASHADHA 18, 1944

# विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2022

**सा.का. नि. 527(अ).**—केंद्रीय सरकार, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 43ग की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय माध्यस्थम् परिषद् (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, --

(क) "अधिनियम" से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) अभिप्रेत है;

(ख) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 43ग की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नियुक्त परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो क्रमश: उस अधिनियम में हैं ।

3. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें :- अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें , जिनके संबंध में इन नियमों के अधीन कोई स्पष्ट उपबंध नहीं बनाया गया है, ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगे जो केंद्रीय सरकार में समतुल्य पंक्ति के अधिकारियों को तत्समय लागू हों ।

4637 GI/2022

4. वेतन और भत्ते :- (1) अध्यक्ष को (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17) 2,25,000 रुपये (नियत) का मासिक वेतन और ऐसे अन्य भत्ते तथा प्रसुविधाएं संदत्त किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार में उसी वेतनमान में पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

(2) किसी सदस्य को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (182200-224100 रुपये) का मासिक वेतन और ऐसे अन्य भत्ते तथा प्रसुविधाएं संदत्त किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार में उसी वेतनमान में पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

(3) यदि अध्यक्ष या सदस्य के रुप में नियुक्त कोई व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा आहरित की जाने वाली पेंशन की सकल रकम घटा दी जाएगी ।

5. छुट्टी - (1) अध्यक्ष और कोई सदस्य, सेवा के प्रत्येक पूरे किए वर्ष के लिए तीस दिनों की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष और कोई सदस्य, कलैंडर वर्ष में आठ दिनों की आकस्मिक छुट्टी का हकदार होगा।

(3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा ।

(4) अध्यक्ष और कोई सदस्य उनकी जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में, इस शर्त के अधीन रहते हुए छुट्टी नकदीकरण के हकदार होंगे कि अधिकतम छुट्टी नकदीकरण, जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त की गई रकम भी है, किसी भी दशा में केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं होगी ।

6. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी - अध्यक्ष, किसी सदस्य की छुट्टी मंजूर करने का सक्षम प्राधिकारी होगा और केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने की सक्षम प्राधिकारी होगी ।

7. मकान किराया भत्ता -- अध्यक्ष और कोई सदस्य नि:शुल्क आवास या उनके संबंधित मूल वेतनमान के 27 प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता, का हकदार होगा ।

8. भविष्य निधि --अध्यक्ष और कोई सदस्य, अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाय का हकदार होगा ।

9. यात्रा भत्ता -- (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, जब घरेलू या विदेश दौरे पर हो, (जिसके अंतर्गत परिषद में पदभार ग्रहण करने या परिषद में अपनी कार्यावधि समाप्त होने पर अपने गृह नगर जाने के लिए की जाने वाली यात्रा भी है), केंद्रीय सरकार में समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को तत्समय लागू समान दरों पर और समान पैमाने पर यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, व्यैक्तिक चीजबस्त के परिवहन और अन्य संबंधित प्रसुविधाओं का हकदार होगा।

(2) केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष या सदस्यों के विदेशी दौरों के लिए मंजूरी प्राधिकारी होगी ।

10. छुट्टी यात्रा रियायत --- अध्यक्ष और सदस्य, केंद्रीय सरकार में समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को लागू समान दरों पर और समान शर्तों पर छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे।

11. चिकित्सा उपचार के लिए सुविधा -- अध्यक्ष और सदस्य, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में समतुल्य पंक्ति के समूह "क" अधिकारियों हेतु यथा उपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे या जहां यह स्कीम उपलब्ध नहीं है, वहां अध्यक्ष और सदस्य, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अधीन चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे।

12. वाहन सुविधा --- अध्यक्ष और सदस्य, केंद्रीय सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार शासकीय और निजी प्रयोजनों की यात्रा हेतु स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे ।

13. टेलीफोन सुविधा और मनोरंजन व्यय ---- अध्यक्ष और सदस्य, ऐसी टेलीफोन सुविधाओं और मनोरंजन व्ययों के हकदार होंगे जो केंद्रीय सरकार के समतुल्य पंक्ति के अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं ।

14. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा ---- अध्यक्ष और सदस्य, अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व, अपनी आस्तियों और दायित्वों तथा वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेंगे ।

15. शिथिल करने की शक्ति --- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

[फा. सं. ए-60011/152/2019-प्रशासन.III(एलए)]

सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

### (Department of Legal Affairs)

#### **NOTIFICATION**

#### New Delhi, the 9th July, 2022

G.S.R. 527(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 84 read with sub-section (3) of section 43C of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

**1. Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Arbitration Council of India (Terms and Conditions and salary and allowances payable to the Chairperson and Members) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996);

(b)"Member" means a Member of the Council appointed under clauses(b) and (c) of subsection (1) of section 43C of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Terms and conditions of service of Chairperson and Members.** The terms and conditions of service of the Chairperson and Member with respect to which no express provision has been made under these rules, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers of equivalent rank in the Central Government.

**4. Salary and allowances.-** (1) The Chairperson, shall be paid a salary of Rs.2,25,000/- p.m. (fixed) (level 17 of the pay matrix), and other allowances and benefits, as are admissible to the Central Government officer holding the post carrying the same pay.

(2) The Member shall be paid a salary in pay level 15 (Rs. 182200 - 224100) of the pay matrix, and other allowances and benefits as are admissible to the Central Government officer holding the post carrying the same pay.

(3) In case of a person appointed as Chairperson or Member is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

**5**. **Leave.** - (1) The Chairperson or a Member shall be entitled to earned leave for thirty days for every completed year of service.

(2) The Chairperson or a Member shall be entitled for eight days casual leave in a calendar year.

(3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(4) The Chairperson or Member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the limit prescribed under the Central Civil Service (Leave) Rules,1972.

**6.** Leave sanctioning authority.-The Chairperson shall be the competent authority to sanction leave to a Member and the Central Government shall be the competent authority to sanction leave to the Chairperson.

**7. House rent allowance.** – The Chairperson and the Member shall be entitled to a rent free accommodation or house rent allowance at the rate of twenty seven per-cent. of their respective basic pay.

**8. Provident Fund.** - The Chairperson and a Member shall be entitled to subscribe to the Contributory Pension Fund.

**9. Travelling allowances.** - (1) The Chairperson and a Member, while on tour, domestic or foreign, (including the journey undertaken to join the Council or on the expiry of his term with the Council to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance, daily allowances, transportation of personal effects and related benefits at the same scale and at the same rates as are for the time being applicable to an officer of equivalent rank in the Central Government.

(2) The Central Government shall be the sanctioning authority for the foreign visits of the Chairperson and Members.

**10.** Leave travel concession. – The Chairperson and Members shall be entitled to leave travel concession at the same rates and on the same conditions as are applicable to an officer of equivalent rank in the Central Government.

**11. Facility for medical treatment.** - The Chairperson and Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as are provided in the Central Government Health Scheme to the officers of 'Group A' of equivalent rank or where the Scheme is not available, the Chairperson and Member shall be entitled to the medical treatment and hospital facilities under the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

**12.** Facility of conveyance. - The Chairperson and Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the Staff Car Rules of the Central Government.

**13.** Telephone facility and entertainment expenses. - The Chairperson and Member shall be entitled for telephone facilities and entertainment expenses as are admissible to officers of equivalent rank in the Central Government.

**14. Declaration of financial and other interests.** - The Chairperson and Member shall, before entering upon his office, declare his assets and liabilities and financial and other interests.

**15. Power to relax rules.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No.A- 60011/152/2019-Admn.III (LA)] SUNITA ANAND, Jt. Secv. and Legal Adviser